नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक ·114330

प्रारूप – 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 5458 दिनांक 19/02/2020

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या 1238 पत्रावली संख्या 58605–एम दिनांक 2013-2014

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ज्ञानोदय एजूकेशनल सोसाइटी ग्राम–मवीकलां, पोस्ट–काठा, जिला–बागपत को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र 795 दिनांक 08-11-2013 को दिनांक 08-11-2018 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1900 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक 19-02-2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

Principal
St. Xavier's World School
Jonmani Pilana, Baghpat

Manager
St. Xavier's World School
Jonmani Pilana, Baghpat

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 2 सोसा फार्म एवं चिट्स-21-11-2014-(1374)-2,00,000 प्रतियां-(क० / टी०/आफसेट)।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

50AE 733229

यह जनरल स्टाम्प पेपर [illegible]

जिला बागपत पत्रावली सं० M-58605

[illegible] संलग्न है।

सत्य प्रतिलिपि

अन्वेषक

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ

27-5-22

Principal
St. Xavier's World School
Jonmani Pilana, Baghpat

Manager
St. Xavier's World School
Jonmani Pilana, Baghpat

संशोधित- नियमावली

1-	संस्था का नाम	:	ज्ञानोदय एजुकेशनल सोसाइटी
2-	संस्था का पूरा पता	:	ग्राम मवीकलां, पोस्ट काठा, जिला- बागपत।
3-	संस्था का कार्यक्षेत्र	:	समस्त उत्तर प्रदेश होगा।
4-	संस्था के उद्देश्य	:	स्मृति-पत्र के अनुसार होंगे।

5- संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :-

क- सदस्यता :-

जो सज्जन 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, नैतिक आचरण वाला हो, दिवालिया न हो, पागल न हो, सर्वोदय विचार वाला हो, संस्था के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हो, संस्था का सदस्य बन सकता है।

ख- सदस्यों के वर्ग :-

अ- आजीवन सदस्य :-

जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुए उसने संस्था को एक मुश्त 2100/- रू0 नकद या इससे अधिक सम्पत्ति देगा, आजीवन सदस्य कहलायेगा।

ब- सामान्य सदस्य :-

जो सदस्य क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुए उसने संस्था को एक मुश्त 151/- रू0 नकद वार्षिक शुल्क या इससे अधिक सम्पत्ति देगा, सामान्य सदस्य कहलायेगा।

6. सदस्यता की समाप्ति :-

1. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।
2. सदस्य द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने पर।
3. संस्था की सदस्यता शुल्क अदा ना करने पर।
4. सदस्य को दिवालिया अथवा पागल घोषित होने पर।

सत्य प्रतिलिपि
अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
27-5-22

Principal
St. Xavier's World School
Jonmani Pilana, Baghpat

Manager
St. Xavier's World School
Jonmani Pilana, Baghpat

5. संस्था के विरूद्ध कार्यों में संलिप्त पाये जाने पर।

6. संस्था की तीन मीटिंग में बिना किसी कारण लगातार अनुपस्थिति रहने पर।

7. **संस्था के अंग :-**

(अ) साधारण सभा

(ब) प्रबंध कार्यकारिणी समिति

8. **साधारण सभा :-**

क- गठन :- संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर बनाया गया समूह साधारण सभा कहलायेगी।

ख- बैठकें :- साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार एवं विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

ग- सूचना :- सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचना डाक या स्पेशल मैसेंजर द्वारा दी जायेगी।

घ- कोरम :- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल संख्या का दो तिहाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक के लिए कोरम की पाबन्दी न होगी, यदि उन्हीं विषयों पर विचार होता हो।

ड- विशेष वार्षिक अधिवेशन :-

संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार हुआ करेगा जिसकी तिथि प्रबन्धसमिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

च- साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1- संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।

2- संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट आदि को पास करना।

सत्य प्रतिलिपि
अधीक्षक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, मेरठ
27-5-22

Principal
St. Xavier's World School
Jonmani Pilana, Baghpat

Manager
St. Xavier's World School
Jonmani Pilana, Baghpat

3- संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन 2/3 बहुमत से करना।

4- संस्था की नीति निर्धारित करना।

5- संस्था के भ्रष्ट सदस्यों को निकालना।

9- **प्रबन्धकारिणी समिति :-**

क-गठन :- संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा अपने सदस्यों में से बहुमत द्वारा होगा। जिसमें अध्यक्ष- एक, उपाध्यक्ष- एक, प्रबन्धक- एक, उपप्रबन्धक- एक, कोषाध्यक्ष- एक एवं सदस्यगण- दो से चार होंगे। जो आवश्यकता पडने पर घट बढ सकती है।

ख-बैठकें :- सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार एवं विशेष बैठक कभी भी अध्यक्ष के निर्देशन पर बुलाई जा सकती है।

ग-सूचना :- सामान्य बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचना डाक या स्पेशल मैसेजर द्वारा दी जायेगी ।

घ-कोरम :- प्रबन्धकारिणी समिति का बैठक का कोरम तीन चौथाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक की पाबन्दी न होगी, यदि उन्हीं विषयों पर विचार होता हो।

ड-रिक्त पद की पूर्ति :-

प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद होने पर उसकी पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति स्वयं साधारण सभा सदस्यों में से बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल की अवधि के लिए कर लेगी ।

च-कार्यकाल :- प्रबन्धसमिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

छः-प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1- संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन करना ।

2- संस्था का प्रबन्ध संचालन हेतु कर्मचारियों, अधिकारियों की नियुक्ति करना।

सत्य प्रतिलिपि
अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एण्ड चिट्स, मेरठ
27-5-22

Principal
St. Xavier's World School
Jonmani Pilana, Baghpat

Manager
St. Xavier's World School
Jonmani Pilana, Baghpat

3- संस्था की वार्षिक रिपोर्ट, बजट आदि को तैयार कराना।

4- प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद की पूर्ति करना ।

5- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, चन्दा, ऋण, अनुदान, भूमि, भवन, चल अचल सम्पत्ति विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करना ।

10- **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-**

अध्यक्ष :-

1- संस्था की सभी प्रकार की बैठकों, सभाओं की अध्यक्षता करना ।

2- सभाओं, कार्यक्रमों आदि के लिए दिनांक, समय का निर्धारण कर सूचना जारी करना ।

3- समान मत होने पर अपना निर्णायक मत देना।

4- संस्था के हित में कार्य करना।

उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपाध्यक्ष को निहित होंगे।

प्रबन्धक :-

1- संस्था के अभिलेखों का रख रखाव करना व मीटिंग की कार्यवाही को रजिस्टर में दर्ज कराना, अभिलेख पूर्ण कराना।

2- संस्था के अन्तर्गत संचालित स्कूल यूनिट आदि के संचालन हेतु समस्त प्रकार की संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।

3- सस्था के समस्त बाउचरों, अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना एवं उनको आवश्यकता पड़ने पर प्रमाणित भी करना ।

सत्य प्रतिलिपि
अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
27-5-22

Principal
St. Xavier's World School
Jonmani Pilana, Baghpat

Manager
St. Xavier's World School
Jonmani Pilana, Baghpat

4- संस्था के द्वारा संचालित यूनिट, संस्थान, स्कूल आदि के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतनवृद्धि, पदोन्नति, डिमोशन आदि सम्बन्धी कार्यवाही करना।

5- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष के साथ मिलकर दान-अनुदान, चन्दा, ऋण, चल अचल सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयो, विभागो, बैंक आदि से सम्पर्क कर प्राप्त करना। संस्था के हित मे कार्य करना।

6- संस्था के सदस्य/ कर्मचारी के त्याग-पत्र को अध्यक्ष की स्वीकृत के बाद संस्तुति करना।

उपप्रबन्धक :- प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपप्रबन्धक को निहित होंगे।

कोषाध्यक्ष :-

1- संस्था के कैश से सम्बन्धित सभी अभिलेख तैयार करना, उनमें धनराशि का इन्द्राज करना।

2- संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट तैयार कराकर बैठक मे प्रस्तावित करना।

3- अध्यक्ष तथा प्रबन्धक के द्वारा सौंपे गये कार्य करना।

11- **नियमों-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-**

संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया प्रबन्धसमिति के अनुमोदन होने के दस दिन बाद साधारण सभा की बैठक में दो तिहाई बहुमत पूर्ण होने पर संशोधन/ परिवर्तन मान्य होगा।

12- **संस्था का कोष :-**

संस्था का कोष संस्था के नाम से किसी भी बैंक अथवा डाकघर में रखा जायेगा जिसका संचालन संस्था के प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

सत्य प्रतिलिपि
अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ

Principal
St. Xavier's World School
Jonmani Pilana, Baghpat

Manager
St. Xavier's World School
Jonmani Pilana, Baghpat

13- आय व्यय लेखा परीक्षण :-

संस्था के आय व्यय का वार्षिक आडिट प्रबन्धसमिति द्वारा नियुक्त आडिटर अथवा सी०ए० द्वारा कराया जायेगा, जो कि पहली अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।

14- कानूनी कार्यवाही :-

संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही प्रबन्धक द्वारा की जायेगी, जो कि संस्था के पंजीकृत कार्यालय के क्षेत्रान्तर्गत की जायेगी।

15- अभिलेख :-

सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, एजेण्डा, लेजर, कैश बुक रसीद बुक आदि जो भी आवश्यक हो, रखे जायेंगे ।

16- विघटन :-

संस्था की विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

17- प्रतिबन्धों की बाध्यता :-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/ जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/ कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि
अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ

Principal
St. Xavier's World School

Manager
St. Xavier's World School

5. संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेंगे।

6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

8. विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र/ पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9. उत्तर प्रदेश शिक्षा संहित की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।

10. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन/ परिवर्धन नही किया जायेगा।

11. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जा रही है तथा भविष्य में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाई जायेगी।

दिनांक-

<u>सत्यप्रतिलिपि।</u>

सत्य प्रतिलिपि

अधीक्षक

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, मेरठ

27-5-22

Principal

St. Xavier's World School

Jonmani Pilana, Baghpat

Manager

St. Xavier's World School

Jonmani Pilana, Baghpat